भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1009

दिनांक 29 अप्रैल, 2016 को उत्तर के लिए

मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों का पुनर्वास

1009. श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचरः
श्री दुष्यंत चैटालाः
श्री पी.के. बिजूः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में मानव दुर्व्यापार के भुक्तभोगियों, महिलाओं और बच्चों, विशेषकर वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं, को संज्ञान में लिया है तथा इसके पास इस संबंध में कोई आंकड़ा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों और वेश्यावृत्ति में लगी हुई महिलाओं के पुनर्वासन के लिए किसी योजना का क्रियान्वयन कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके द्वारा कितनी महिलाओं और बच्चों को बचाया और उनका पुनर्वास किया गया है एवं गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसमें निजी प्लेसमेंट एजेंसियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानव दुर्व्यापार विरोधी बोर्ड गठित करने तथा नए मानव दुर्व्यापार विरोधी विधेयक लाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके बारे में क्या प्रगति हुई है एवं इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों के गुमशुदा मामलों सहित मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए पुलिस स्टेशनों में विशेष स्कंध स्थापित करने के लिए राज्यों को सलाह दी है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों सहित मानव दुर्व्यापार को रोकने एवं वेश्यावृति से महिलाओं को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाया है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : जी, हां । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वेश्यावृत्ति के लिए यौन शोषण के तहत दुर्व्यापार से बचाई गई पीड़ितों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दुर्व्यापार की रोकथाम, व्यावसायिक यौन शोषण के लिए दुर्व्यापार की पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास एवं पुन:एकीकरण के लिए उज्ज्वला नामक एक व्यापक स्कीम चला रहा है ताकि शोषण के उनके स्थान से पीड़ितों का बचाव सुगम हो सके और उनको सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सके तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(ग) : सभी तरह के मानव दुर्व्यापार से लड़ने की संस्थानिक एवं कानूनी रूपरेखा को मजबूत करने के लिए एक अंतरमंत्रालयी समिति गठित की गई है ।

(घ) और (ड.) : गृह मंत्रालय ने देश के 234 जिलों में मानव दुर्व्यापार रोधी यूनिटों (एएचटीयू) का गठन किया है । गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यापार से लड़ने पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यापक परामर्शियां जारी की हैं । ये परामर्शियां/एसओपी गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल www.stophumantrafficking-mha.nic.in पर उपलब्ध हैं ।

*****

अनुलग्नक-I

2014-15 के दौरान वेश्यावृत्ति के लिए यौन शोषण के तहत दुर्व्यापार से बचाई गई पीड़ितों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल पीड़ित														माह के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं	
		2014							2015							2014	2015
		नाबालिग (18 साल से कम आयु)		वयस्क		कुल			नाबालिग (18 साल से कम आयु)		वयस्क		कुल				
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल योग	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल योग		
1	आंध्र प्रदेश	0	5	3	128	3	133	136	0	9	4	127	4	136	140	मई	दिस.
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जन., मई	
3	असम	5	18	0	26	5	44	49	0	53	0	56	0	109	109		
4	बिहार	0	46	0	102	0	148	148	0	34	0	12	0	46	46		
5	छत्तीसगढ़	0	2	0	7	0	9	9	0	4	0	1	0	5	5		
6	गोवा	0	55	0	1852	0	1907	1907	0	131	0	5081	0	5212	5212		
7	गुजरात	0	1	0	48	0	49	49	2	18	0	69	2	87	89		
8	हरियाणा	0	0	0	23	0	23	23	0	2	0	23	0	25	25	जन.-नव.	नव.
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	28	0	28	28	0	0	7	86	7	86	93		
10	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	झारखंड	0	10	0	2	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	जन.-नव.	
12	कर्नाटक	0	11	4	352	4	363	367	5	40	0	536	5	576	581	फर., अप्रै., जून, जुलाई	
13	केरल	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	जन.-नव.	
14	मध्य प्रदेश	0	1	0	2	0	3	3	0	25	0	57	0	82	82	फर.-मार्च	
15	महाराष्ट्र	0	64	4	563	4	627	631	0	93	0	1190	0	1283	1283		
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0		जन.-दिस.
17	मेघालय	0	5	0	0	0	5	5	0	1	0	0	0	1	1		
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	ओडिशा	2	5	7	15	9	20	29	0	1	0	19	0	20	20		अप्रै.-दिस.
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जन.-नव.	जन.-दिस. सित. छोडकर
22	राजस्थान	34	2	0	6	34	8	42	15	17	0	25	15	42	57		
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	तमिलनाडु	0	0	0	611	0	611	611	3	28	1	927	4	955	959	जन.-नव.	
25	तेलंगाना	0	1	0	229	0	230	230	0	12	3	434	3	446	449	जन.-अग.	
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अप्रै., अक्तू., दिस.	मई.-दिस.
28	उत्तराखंड	0	9	0	25	0	34	34	0	4	0	20	0	24	24	जन.-नव.	
29	पश्चिम बंगाल	2	249	0	150	2	399	401	1	178	20	79	21	257	278	जन.-नव.	
30	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जन., फर., अप्रै., अगस्त	
31	चंडीगढ़	3	1	1	0	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0		
32	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2		
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	19	0	0	0	19	19	0	6	0	20	0	26	26	जन.-नव.	
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	पुदुचेरी	0	2	0	3	0	5	5	0	0	0	1	0	1	1		
	कुल	**46**	**506**	**19**	**4172**	**65**	**4678**	**4743**	**27**	**657**	**35**	**8764**	**62**	**9421**	**9483**		

टिप्पणी-: डाटा अनंतिम

एन.ए. : डाटा उपलब्ध नही है